संख्या–4439/9–1–17–295सा/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक– 08 नवम्बर, 2017

विषयः–नगरीय निकायों के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–740/रा0नि0आ0अनु–3/न0नि0/16–17/2017, दिनांक–15 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग के संशोधनों के अनुसार नगरीय निकायों के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा दुर्घटना में दिव्यांग होने वाले कार्मिकों हेतु अनुग्रह धनराशि राशि में निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0 सं0	अनुग्रह राशि की अनुमन्यता	धनराशि (रूपये में)
1	प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में।	10,00,000/–
2	ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकबादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु।	20,00,000/–
3	उपरोक्त कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी ऑच, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में।	10,00,000/–
4	किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी ऑख, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में।	5,00,000/–

2. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के संशोधनों के अनुसार ही नगरीय निकायों के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगाः–

(1) निर्वाचन ड्यूटी अवधि की गणना मतदान/मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक वापस पहुॅचने की अवधि तक ही मान्य होगी। साथ ही यह भी शर्त है कि निवास स्थल से ड्यूटी स्थल पर पहुॅचने तथा ड्यूटी स्थल से निवास स्थल की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य होगी, जितना सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) अनुग्रह राशि के मामले राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 को भेजते समय उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी संस्तुति, समस्त साक्ष्यों यथा प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक (Both direct and circumstantial) एवं समस्त अभिलेखों (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, स्थाई दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि) सहित उपलब्ध करायेंगे।

(3) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती किये जाने की स्थिति में यह गणना उनके प्रदेश में आगमन (Induction) से ड्यूटी के पश्चात मूल स्थान पर रवानगी (De Induction) तक मानी जायेगी। जनपद में तैनात मोबाइल सुरक्षा बल भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे।

3. उपरोक्त के संबंध में आवश्यक धनराशि का आवंटन संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों का निर्वाचन ड्यूटी हेतु अलग से कोई बीमा नही किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2015–निर्वाचन–800अन्य व्यय–04–स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु–42–अन्य व्यय मद में रू0 6000.00 लाख का बजट प्राविधान है तथा हेतु पृथक से कोई धनराशि आवंटित नही की जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–8–1358/दस–2017, दिनांक 06.11.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदार)–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट)–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0।
(5) वित एवं लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
(9) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

PrGoSN